भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2309
जिसका उत्तर मंगलवार 2 जनवरी, 2018 को दिया जाना है

हाइब्रिड वाहन

2309. श्री राम चरित्र निषाद:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फास्टर एडोप्शन एंड मेन्यूफेक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएएमई) इंडिया स्कीम के तहत हल्के हाइब्रिड वाहनों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन वापस ले लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उन इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या क्या है जिन्हें एफएएमई इंडिया स्कीम के आरंभ होने के समय से ही राजसहायता दी गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): फेम-इंडिया स्कीम का चरण-I, जो मूल रूप से 2 वर्षों की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2017 तक था, का विस्तार इस स्कीम के अंतर्गत माइल्ड हाइब्रिड प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध लाभों को 01 अप्रैल, 2017 से समाप्त करने के आंशिक संशोधन के साथ 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए कर दिया गया है।

इस स्कीम की अधिसूचना में, इस स्कीम के चरण-I में प्राप्त हुए परिणाम और अनुभव के आधार पर इसकी समुचित समीक्षा की व्यवस्था की गई है। तद्नुसार, तीसरे पक्ष द्वारा फेम-इंडिया स्कीम के चरण-I के मूल्यांकन के आधार पर, माइल्ड हाइब्रिड प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराए जा रहे लाभ वापस ले लिए गए।

(ग) और (घ): जी हां, सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रचलित करने के लिए वर्ष 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम की शुरुआत की। फेम-इंडिया स्कीम की शुरुआत से अब तक इस स्कीम के माध्यम से 174760 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) को मांग प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता दी गई है।

*****